केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड,बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांकः-3(39)BK/2011/Vol//

दिनांकः-04.02.2014

निविदा प्रपत्र

1- निविदा जमा करने की अंतिम तिथिएवं समय	: दिनांक 27.02.2014 दोपहर 1.00 बजे
2- निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	: दिनांक 27.02.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3- अरनेस्ट राशि	: रू 3,000(रूपये तीन हजार मात्र)
4- निविदा की मान्य अवधि	: 120 दिन
5- निविदा शुल्क	: रू.500/-

संस्थान की प्रोद्योगिकी इकाई एवं संबंधित लेबोरेट्री कार्य, नियम एवं शर्तेः-

1- पशु प्रोद्योगिकी इकाई में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थे को पीसना व प्रभारी पोषण के बताये अनुसार दाना/दाने की ईट एवं सम्बन्धित कार्य करना।

2- केन्द्रीय प्रयोगशाला में विषलेषण हेतु मदद करना प्रभारी के दिशा निर्देश में उपकरणों का रखरखाव करना इत्यादि।

3- भेड़ों पर अनुसंधान के लिए आवश्यकता अनुसार दाना/चारा तोलना, मीगनी/चारे के नमूनें एकत्रित करना सुख्याना व पीसना।

4- प्रयोगशालाओं से संबंधित सभी कार्य जिसमें जानवरों के सेम्पल संग्रहण आदि सम्मिलित हैं, प्रभारी प्रयोगशाला /प्रभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार बताये गये कार्य को समय- सुबह, शाम, रात्रि में अनुबंध कर्ता की पूर्ण कराने की जिम्मेदारी होगी। कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में रू. 500/- प्रतिदिन के अनुसार कटौती की जायेगी।

5-उक्त कार्यो के लिए लगाये जाने वाले श्रमिक की योग्यता साक्षर के साथ पशु आहर बनाने के कार्य करने का अनुभव होना चाहिये और हिन्दी-अंग्रेजी का ज्ञान हो। श्रमिक के पहचान एवं योग्यता अथवा अनुभव के साक्ष्य निविदा के साथ उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। योग्य श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने पर अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। लगाया जाने वाला श्रमिक आज्ञाकारी, ईमानदार, समय का पाबंद व अनुशासित होना जरूरी है। प्रयोगशाला के कर्मचारियों, अधिकारियों व अनुसंधान कर्ताओं के साथ नम्र व्यवहार आपेक्षित है।

6-ठेकेदार के पास आयकर विभाग के पेन नम्बर (Income tax Pan No.) होना आवश्यक है बिना पेन नम्बर कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। श्रम विभाग में श्रमिक आपूर्ति का पंजीयन होना अनिवार्य है।

7- अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश दिनांक 01.04.2014 से 31.3.2015 तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक रहने पर समयावधि आगे बढाने पर विचार किया जा सकता है। अनुबंध कार्य प्रशासनिक कारणों से समय से पूर्व भी निरस्त किया जा सकता है।

8- कार्य हेतु न्यून्तम एवं उचित दर ही स्वीकार की जावेगी। यदि आवश्यक समझा गया तो दर के बारे में आपसी बातचीत (नेगोसियसन) भी किया जा सकता है।

9- निविदा के साथ रूपये 3000/- अरनेस्ट राशि बतौर डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में तथा पंजाब नेशनल बैंक बीछवाल शाखा, बीकानेर में भुगतान योग्य हो, निर्धारित तिथि एवं समय तक क्रय एवं भण्डार अनुभाग में रखे टेण्डर बॉक्स में डालना होगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाइट से लिया जाता है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क रू.500/- का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10- सफल निविदा दाता को कुल कार्य का 10 प्रतिशत धरोहर राशि एवं रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट भर कर 3 दिन में जमा करना होगा। एग्रीमेंट में यह भी अंकित किया जाना अनिवार्य है कि श्रमिक से हुये हर्जाने की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

11- संस्थान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से किसी भी तरह का व्यव्धान या नुकसान होने पर अनुबन्ध को निश्चित अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी।

12- कार्य का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर निश्चित समायावधि 30-45 दिन में कर किया जायेगा।

13- निविदा में भरी गई दर सरकार द्वारा निर्धारित न्यून्तम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी और जमा अरनेस्ट राशि जब्त कर ली जायेगी।

14- ठेकेदार की अनुबन्ध की अवधि में प्रचलित श्रम कानूनों का पालन करना होगा। श्रमिक कानून के तहत श्रमिक के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा किसी भी प्रकार का वाद तथा क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। ठेकेदार के अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा श्रमिक न्यूनतम अधिनियम के तहत समय-समय पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। साथ ही श्रमिक कानूनों का भी पूर्ण पालन करना होगा। श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टररोल, लेखा जोखा आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकदार को रखने होंगे।

15- ठेकेदार या प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के किसी भी कार्य में किसी भी कार्य में किसी भी तरह का व्यव्धान उत्पन्न करते हुये पाये जाते हैं तो जमा करवायी गई धरोहर राशि को जब्त करके अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

16- संस्थान को बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

4/2/14

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मुझे मंजूर हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। उपरोक्त कार्यों के लिए मेरी दर रू............... प्रति माह होगी।

हस्ताक्षर ....

फर्म का पता...

मोबाईल न..